

महसूल तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 03/2020
द्वारा दिनांक: 15.09.2020

उनवान

मुलचंद पिता नारु जाति खटीक निवासी वीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
--प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती वीगोद तहसील माण्डलगढ

--अप्रार्थी

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री संजय कुमार खटीक :- अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री संजय चौहान :- अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 28.12.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय कुमार खटीक के दिनांक 31.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे नाम पर ग्राम वीगोद प0ह0 वीगोद तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 3364/1 रकबा 0.3237 हैक्टियर भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि की दिनांक 09.07.2020 को भू-अभिलेख निरीक्षक वीगोद व पटवारी हल्का वीगोद द्वारा मुस्तकील मुटाम से जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई। पत्थरगढी करवाने पर उक्त वर्णित भूमि के आराजी नं. 3364/1 रकबा 02 वीघा मे से 10 विस्वा भूमि पर अप्रार्थी का अवैध कब्जा पाया गया। उक्त पत्थरगढी अप्रार्थी को उक्त अवैध कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया गया तो अप्रार्थी ने उक्त कब्जा छोडने से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अप्रार्थी को वेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि की जमाबंदी व पत्थरगढी-मौका पर्चा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

दिनांक 06.10.2020 को अप्रार्थी रामचन्द्र पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती वीगोद तहसील माण्डलगढ की ओर से अधिवक्ता संजय चौहान ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संजय चौहान ने दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब से अवगत करवाया कि विवादित भूमि जो आवंटी मोहन पिता रूपा कंजर निवासी वीगोद को हुई थी तथा बाद मे प्रार्थी ने उक्त भूमि खरीदी थी। विपक्षी का ग्राम वीगोद की चरागाह भूमि आराजी नं0 3365, 3364 पर कब्जा चला आ रहा है विवादग्रस्त भूमि भी चरागाह से आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीदी गई तथा प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी के नाम विवादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

तहसीलदार माण्डलगढ

मेनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमावंदी की नकल, पत्थगढी का मौका
अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन
किया। उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब
में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को निरस्त करने वाकत निवेदन किया है। यदि विपक्षी
विवादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाना चाहता है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में
वाद दायर करना चाहिए था। अप्रार्थी ने अपने जवाब में विवादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा
करना स्वीकार किया है। प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की पत्थगढी का मौका पर्चा
अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ग्राम वीगोद के आराजी नं 3364/1 रकबा 0.3237
हैक्टयर में से 10 विस्वा भूमि पर अप्रार्थी द्वारा किया गया कब्जा अवैध है। अतः प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू-अभिलेख
निरीक्षक वीगोद को आदेशित किया जाता है कि ग्राम वीगोद प0ह0 वीगोद तहसील माण्डलगढ
के आराजी नं. 3364/1 रकबा 0.3237 हैक्टयर भूमि में से 10 विस्वा भूमि से अप्रार्थी रामचन्द्र
पिता गोविन्द जाति कंजर निवासी कंजर बस्ती वीगोद तहसील माण्डलगढ को वेदखल कर
कब्जा प्रार्थी मुलचंद पिता नारू जाति खटीक निवासी वीगोद तहसील माण्डलगढ जिला
भीलवाडा को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में अधिवक्ता उभय पक्ष की उपस्थिति में
सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वीगोद को लिखा जाकर पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ